

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA (EXTRA-ORDINARY) PART II SECTION 3 SUB-SECTION (i)


**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**

New Delhi, dated the 18th June, 1999

NOTIFICATION

G.S.R. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government, after consulting the Press Council of India, hereby makes the following rules further to amend the Press Council (Procedure for Nomination of Members) Rules, 1978, namely:-

1. (1) These rules may be called the Press Council (Procedure for Nomination of Members) Amendment Rules, 1999.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Press Council (Procedure for Nomination of Members) Rules, 1978, in rule 3, for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted respectively, namely:-
 - "(2) The notice in sub-rule (1) shall state the date on or before which the panel of names are to be received and such date shall in no case be earlier than the date of expiry of thirty days from the date of the notice, and a panel of names received after that date shall not be considered.
 - (3) The panels of names shall be signed by an office bearer duly designated and authorised to do so by the association or news agency notified in this behalf under sub-section (4) of section 5 of the Act. Such designated and authorised person shall be responsible in all respects for the accuracy of the contents thereof and where the name of any person is



included in a panel of names, duly verified by such a person as representing a particular category mentioned in sub-clause (a), (b) or (c) of clause (ii) of sub-rule (1), it shall be presumed that such person is eligible for nomination under that category. The person signing the panel of names shall do so on solemn affirmation before a Magistrate."



(R.C. MISHRA)

Joint Secretary to the Government of India
Tele # 338 38 57 #

(File No.4/5/99-Press)

Foot Note: The principal rules were published vide G.S.R. 1351 dated the 24th October, 1978.

To,

**The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi.**

Copy forwarded to:-

1. The Chairman, Press Council of India, New Delhi.
2. The Secretary, Press Council of India, New Delhi.
3. All members of Press Council of India.
4. Ministry of Law, Shastri Bhavan, New Delhi.

॥ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3 के उपखंड ॥1॥ में प्रकाशनार्थ ॥

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

---x---

नई दिल्ली, दिनांक:-18 जून, 1999

अधिसूचना

सा. का. नि. केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 ॥1978 का 37॥ की धारा 25 की उपधारा ॥1॥ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रेस परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् प्रेस परिषद् ॥ सदस्यों के नामनिर्देशन की प्रक्रिया ॥ नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. ॥1॥ इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेस परिषद् ॥सदस्यों के नाम निर्देशन की प्रक्रिया ॥ संशोधन नियम, 1999 है ।
॥2॥ ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. प्रेस परिषद् ॥सदस्यों के नाम निर्देशन की प्रक्रिया ॥ नियम, 1978 के नियम 3 के उप नियम ॥2॥ और ॥3॥ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

" ॥2॥ उपनियम ॥1॥ की सूचना में उस तारीख का कथन होगा जिसको या जिससे पहले नामों का पैनल प्राप्त किया जाता है और ऐसी तारीख किसी भी दशा में सूचना की तारीख से तोत दिवस के अवसान की तारीख से पूर्वतर नहीं होगी और उस तारीख के पश्चात् प्राप्त किए गए नामों के पैनल पर विचार नहीं किया जाएगा ।

॥3॥ नामों के पैनल पर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ॥4॥ के अधीन इत निमित्त अधिसूचित संगन या समाचार स्पेंसी द्वारा रेषा करने के लिए सम्यक रूप से अभिहित या प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे । ऐसा अभिहित और प्राधिकृत व्यक्ति उसकी अन्तर्वस्तु की सत्यता के लिए सभी प्रकार से उत्तरदायी होगा और जहाँ किसी व्यक्ति का नाम, नामों के पैनल में शामिल किया जाता है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा उपनियम ॥1॥ के खंड ॥1.1॥ के उपखंड ॥क॥, ॥ख॥ या ॥ग॥ में वर्णित किसी विशिष्ट पृथग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक रूप से सत्यापित है तो यह उपधारणा की जायगी कि वह व्यक्ति उक्त पृथग के अधीन नामनिर्देशन के लिए मात्र है । नामों के पैनल पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञानपर रेषा करेगा ।

॥ आर. टी. मिश्रा ॥
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पणः- मूल नियम सा. का. नि. 1351 तारीख 24 अक्टूबर, 1978 के अधीन अधिसूचित किए गए थे ।

प्रतिलिपि प्रेषिताः-

1. अध्यक्ष, भारतीय प्रेत परिषद, नई दिल्ली ।
2. सचिव, भारतीय प्रेत परिषद, नई दिल्ली ।
3. भारतीय प्रेत परिषद के सभी सदस्य ।
4. विधि मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।